कार्यालय जिलाधिकारी(संग्रह कार्यालय)बिजनौर।

पत्रांक– 1018/तीन–सी0आर0ए0(आपदा) –19 दिनांक– 28–11–2019

शासनादेश संख्या–271/एक–10–2019–12(34)/03टीसी–1 राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ दिनांक 03 जुलाई, 2019 जिसके अन्तर्गत निर्गत निर्देशो के कम मे वित्तीय वर्ष 2019–20 मे जनपद के गरीब/निराश्रित/असहाय कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को अत्यधिक ठण्ड व शीतलहरी से बचाने हेतु जनपद के लिए 5000(पॉच हजार) कम्बल जैम पोर्टल के माध्यम से बिड के द्वारा आमंत्रित की गयी है। जिलाधिकारी महोय के आदेश के अनुपालन मे समिति के सभी सदस्यो की सहमति के द्वारा बिड को दिनांक 09–12–2019 समय सॉय–3.30–00 बजे खोले जाने का निर्णय लिया गया, जैम पोर्टल पर नियत तिथि व समय पर जैम पोर्टल पर निविदाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, एंव उक्त दिनांक व समय पर उपस्थित हो।

जैम पोर्टल पर कम्बल कय करने हेतु टैकनिकल बिड

क0 सं0	कार्य का नाम	कम्बल की मात्रा	कम्बल की दर (रू0 मे)	कम्बल की निर्धारित गुणवत्ता			
				(साइज सेमी0 मे)		वजन (किग्रा मे)	वूलेन की मात्रा
				लम्बाई	चौडाई		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कम्बल आपूर्ति	5000	अधिकतम 500–00 रू0	235 सेमी0	140 सेमी0	2.200 कि0ग्रा0	कम से कम 70 प्रतिशत

निविदा की शर्ते निम्नवत हैः–

1–आपूर्ति किये जाने वाले कम्बलों की लम्बाई कम से कम 235 सेमी0, चौडाई कम से कम 140 सेमी0 तथा वजन कम से कम 2 किलो 200 ग्राम होना चाहिए। इन कम्बलों मे कम से कम 70 प्रतिशत ऊन होनी चाहिए। पुराने यार्न का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

2–प्रमुख सचिव, सूक्ष्य, लघु एंव मध्यम उद्यम अनुभाग–2 लखनऊ उ0प्र0 के शासनादेश सं0 8/2016/548/18– 2–2016–12 (एस0पी0)/2010, दिनांक–12 अगस्त, 2016 जो कि सरकारी विभागों एंव शासकीय नियन्त्रणाधीन उपकमों/निगमों/प्राधिकरणो/परिषदो/स्वायत्तशासी संस्थाओं (जिन्हें आगे केता एजेन्सी कहा गया है)द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0यूपिका,उ0प्र0एंव ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एंव प्रमाणित संस्थाओं,श्री गॉधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एंव विपणन निगम(पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) के माध्यम से लघु एंव कुटीर तथा हथकरघा इकाइयो द्वारा उत्पादित वस्त्रों की कय अनिवार्यता के सम्बंध मे है, दिये गये निर्देशानुसार **कम्बल का कय किये जाने मे उक्त फर्मो को वरीयता दी जायेगी।**

3–आपूर्तिकर्ता को Bid खोलने के दिन, Bid के पूर्व प्रत्येक Biddin Advance sample (कम्बल का सैम्पल)देना होगा।

4–शासनादेश सं0 271/एक–10–2019–12(34)/03टीसी–1 राजस्व अनुभाग–10 उ0प्र0शासन दिनांक 03 जुलाई,2019 (संलग्न)मे दिये गये निर्देशो के कम मे कम्बल कय किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

5–विकेता आपूर्तिकर्त्ता संस्था वाण्ज्यिकर विभाग मे (उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत)वैध पंजीकृत होना अनिवार्य है। पैन,टैन,व जी0एस0टी0 नम्बर की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

6–निविदा प्रारम्भ करने से पूर्व जिलाधिकारी बिजनौर के पक्ष मे 1,50,000/–रूपये का राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राफट जमानत धनराशि जिलाधिकारी महोदय के नाम के रूप मे जमा करना होगा।

7– ऐसी संस्था ही निविदा हेतु अधिकृत होगी जिसका टर्नओवर 10 लाख सालाना होगा।

8– स्वीकृत संस्था/फर्म द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत(आपूर्ति आदेश मिलने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर) कम्बलों की आपूर्ति जनपद की समस्त तहसीलों मुख्यालयों पर करना अनिवार्य है जिसका समस्त व्यय संस्था द्वारा ही वहन किया जायेगा।

9–सेवा कर/जी0एस0टी0/प्रशासनिक व्यय का भार निविदादाता आपूर्तिकर्ता को स्वंय वहन करना होगा।

10– भुगतान के समय नियमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी।

11– सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

12–आपूर्तिकर्ता को प्रमाणित संस्था से प्रमाणीकरण का प्रमाण–पत्र देना होगा।

13–किसी भी निविदा को अस्वीकृत करने का अधिकार कय समिति /जिलाधिकारी महोदय को होगा।

निविदा जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खोले जाने से पूर्व आपूर्तिकर्ता संस्था को जमानत धनराशि जमा करना आवश्यक होगा।

प्रभारी अधिकारी(आपदा)
बिजनौर

संख्या व दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय की सेवा मे अवलोकनार्थ प्रेषित।

2–जिला सूचना एंव विज्ञान अधिकारी बिजनौर (समिति सदस्य) जैम पोर्टल की साइड पर दर्ज करने हेतु एक प्रति।

2–जिला सूचना अधिकारी बिजनौर को इस आशय से प्रेषित कि सभी समाचार पत्रो मे उक्त पत्र का निःशुल्क प्रकाशन कराना सुनिश्चित करे।

प्रभारी अधिकारी(आपदा)
बिजनौर